

न्यायालय: द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड(म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-13/17

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 13.04.17

1. बाबूसिंह पुत्र लाखाराम सिंह आयु 67 वर्ष
2. रामसिंह पुत्र लाखाराम सिंह आयु 63 वर्ष
3. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री शंकर सिंह आयु 72 वर्ष
4. सुघरसिंह पुत्र रानाजीत सिंह आयु 52 वर्ष
5. वीरेन्द्र सिंह आयु 42 वर्ष,
6. जयवीर सिंह आयु 37 वर्ष
7. पुत्तू सिंह आयु 33 वर्ष
8. सुरेन्द्र सिंह आयु 30 वर्ष पुत्रगण रामप्रसाद,
9. श्रीमती विटन्सादेवी आयु 60 वर्ष पत्नी
रामप्रसाद सिंह समस्त जाति गुर्जर ठाकुर
निवासीगण ग्राम बघराई परगना गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0

..... अपीलार्थी/वादीगण

विरुद्ध

1. गंगासिंह पुत्र सोवरन सिंह आयु 71 वर्ष जाति
गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम बघराई तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान् कलेक्टर जिला
भिण्ड म0प्र0

..... प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

.....
न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 गोहद, जिला भिण्ड
(श्री गोपेश मार्ग) के न्यायालय के मूल व्यवहार वाद क्रमांक
46ए/16 में घोषित निर्णय दिनांक 15.03.17 से उद्भूत यह
नियमित सिविल अपील।
.....

अपीलार्थीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 01 द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 02 अनु. पूर्व से एकपक्षीय।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 28.10.17 को घोषित)

1. अपीलार्थी/वादीगण द्वारा यह अपील न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 गोहद, जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 46ए/16 उनवान बाबू सिंह एवं अन्य बनाम गंगासिंह एवं अन्य में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.03.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार अपीलार्थी/वादीगण के द्वारा विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 171 रकवा 0.390 हेक्टे0 स्थित ग्राम बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड पूर्व का सर्वे नंबर 622/02 के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद निरस्त कर दिया गया है।
2. विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी के यह अभिवचन रहे हैं कि विवादित भूमि के वादीगण के पूर्वज रिकॉर्डेड मौरुसी कृषक होकर आधिपत्यधारी थे। प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगासिंह के द्वारा वादीगण को बिना पक्षकार बनाए न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 02 गोहद के न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 86ए/14 मूल व्यवहार वाद गंगासिंह बनाम रघुनाथ सिंह एवं अन्य पर संचालित हुआ। जिसमें वादीगण की ओर से तथा प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण को पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रथक प्रथक आवेदन प्रस्तुत किए गए, जो कि न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए। प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा धारा-115 एवं 116 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत न्यायालय तहसीलदार परगना गोहद के न्यायालय में दिनांक 12.08.13 को प्रस्तुत किया है तथा वादीगण द्वारा भी भूमि स्वामी बनने हेतु धारा-190 एवं 110 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 04.10.13 को प्रस्तुत किया है।
3. वादीगण के द्वारा यह भी अभिवचन किए गए हैं कि वादीगण के पूर्वज लाखाराम सिंह, शंकर सिंह पुत्रगण सूरजपाल सिंह, विवादित भूमि

के 1/4 भाग के, राजाराम सिंह पुत्र जगतसिंह 1/4 भाग के, राणाजीत सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/4 भाग के मौरुसी कृषक के रूप में दर्ज रहे हैं। जिसका इंद्राज राजस्व अभिलेख में है। प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगासिंह का नाम स्वत्वहीन भूमि स्वामी के रूप में इंद्राज है। म०प्र०भू०रा०सं० प्रभावशील होने के पश्चात अर्थात् दिनांक 02.10.59 से वादीगण के पूर्वजों के मौरुसी कृषक होने से उनके भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत हो चुके थे, जब तक वादीगण के उपरोक्त पूर्वज जीवित रहे तब वे विवादित भूमि पर काबिज होकर खेती करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण बहसियत भूमि स्वामी काबिज होकर के खेती कर रहे हैं और वादीगण का ही मौके पर कब्जा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने आज तक किसी भी हैसियत से खेती नहीं की है और न ही उसका मौके पर कब्जा है। दिनांक 21.02.15 को प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अन्य प्रकरण मूल व्यवहार वाद क्रमांक 86ए/14 में प्राप्त अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में फसल काटने की धौंस दी गई, तब वादीगण ने उस अन्य प्रकरण में न्यायालय में पक्षकार बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जो कि निरस्त कर दिया गया। उक्त आधारों पर वादीगण को विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किए जाने एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 को विवादित भूमि का अंतरण करने एवं वादीगण के कब्जा काश्त एवं बर्ताव में कोई व्यवधान उत्पन्न करने से स्थाई रूप से निषेधित किए जाने की प्रार्थना की गई।

4. प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादीगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि का प्रतिवादी गंगासिंह रिकॉर्डेड भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है। उसके द्वारा तहसील में राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पूर्वजों के नाम का गलत इंद्राज को निरस्त कराने की कार्यवाही की गई थी। वादीगण की ओर से धारा-190 एवं 110 म०प्र०भू०रा०सं० के तहत जो कार्यवाही की गई है वह अवधि के पश्चात की गई है। अन्य प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने के आवेदन के विरुद्ध वादीगण के द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई। वादीगण के द्वारा इतनी लंबी अवधि तक अर्थात्

जमींदारी काल से लेकर आज तक राजस्व अभिलेख में इंड्राज कराने तथा भूमि स्वामी घोषित किए जाने की सहायता की कोई कार्यवाही नहीं की गई इस कारण वादीगण का वाद अवधि बाह्य है। कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। दिनांक 21.02.15 को प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा फसल काटने की कोई धौंस नहीं दी गई है। प्रतिवादी क्रमांक 01 का विवादित भूमि पर सदैव से कब्जा रहा है और उसकी खेती हो रही है। वादीगण द्वारा कब्जा प्राप्त किए जाने की सहायता नहीं चाही गई है जिसके बिना यह वाद चलने योग्य नहीं है। उक्त आधारों पर वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए तथा साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके समक्ष निम्नानुसार निष्कर्ष दिए गए:-

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या भूमि खसरा क्रमांक 171 रकवा 0.39 हैक्टे0 मौजा बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड जिसका बंदोबस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 622/2 था, पर वादीगण को स्वत्व प्राप्त हो गए हैं ?	नासाबित।
2. क्या उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का उनके पूर्वज के समय से स्थापित आधिपत्य है ?	नासाबित।
3. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 वादीगण के विवादित भूमि में आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है ?	नासाबित।
4. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है ?	नासाबित।
5. क्या वाद परिसीमा अवधि में पेश किया गया है ?	साबित।
6. सहायता एवं व्यय ?	वाद अस्वीकार।

6. अपीलार्थी/वादीगण की ओर अपने अपील मेमो एवं तर्क में प्रमुख आधार यह लिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा

अभिवचनों के अनुसार वाद प्रश्न नहीं बनाए गए हैं तथा प्रस्तुत की गई साक्ष्य का विवेचन मन माने तौर से किया है। निर्णय में पैरा-18 में अपीलार्थीगण को मौरूसी कृषक माना है परंतु पैरा-22 में यह माना है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज जमीन बेच गए थे उसी को आधार मानते हुए अपीलार्थीगण का दावा निरस्त किया गया है। वादीगण के पूर्वज विवादित भूमि के मौरूसी कृषक रहे हैं। म0प्र0भू0रा0सं0 के प्रभावशील होने की दिनांक 02.10.59 से ही स्वमेव ही भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत हो गए थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य एवं विधि का मन माने तौर से विवेचन कर अपीलार्थीगण का दावा निरस्त कर दिया। वादीगण के पूर्वजों की मृत्यु के बाद अपीलार्थी/वादीगण को हक प्राप्त हो गए हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.03.17 विधि विधान के विपरीत होने से काबिल निरस्ती है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.03.17 को अपास्त करते हुए अपीलार्थीगण को विवादित भूमि का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किए जाने एवं प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 01 को विवादित भूमि का अंतरण करने एवं वादी के कब्जा काश्त एवं बर्ताव में कोई व्यवधान उत्पन्न करने से स्थाई रूप से निषेधित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

7. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादप्रश्न क्रमांक 01, लगायत 04 पर उचित रूप से निष्कर्ष देते हुए, वाद निरस्त किए जाने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। विचारण न्यायालय का आलोच्य निर्णय एवं डिक्री विधि अनुरूप है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
8. इस अपील के विधिवत् निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है।

1. क्या वादीगण के पूर्वज विवादित भूमि के आधिपत्य या मौरूसी कृषक होने से और इस रूप में उनका नाम दर्ज होने से म0प्र0भू0रा0सं0 के प्रभावशील होने के पश्चात भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत हो गए थे ?

2. क्या विवादित भूमि पर म०प्र०भू०रा०सं० के प्रभावशील होने के पूर्व से वादीगण के पूर्वजों का तथा उनके पश्चात वादीगण का सुस्थापित आधिपत्य चला आ रहा है ?
3. क्या प्रतिवादी क्र०-01 के द्वारा विवादित भूमि में वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है ?
4. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा विवादित भूमि को अंतरित करने का प्रयास किया जा रहा है ?
5. क्या विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.03.2017 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01:-

9. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय के पैरा-17, 18 एवं 19 में यह निष्कर्ष दिया है कि लाखाराम, शंकर, राजाराम और राणाजीत विवादित भूमि के मौरूसी कृषक होने से म०प्र०भू०रा०सं० की धारा-190 के अधीन भूमिस्वामी होना प्रमाणित हुए हैं और इसी संहिता की धारा-192 के अनुसार मौरूसी कृषक के उक्त अधिकार हिन्दू स्वीय विधि के अनुसार विरासत द्वारा संक्रांत होंगे। अतः संहिता की धारा-192 के अधीन लाखाराम, शंकरसिंह, राणाजीत एवं रामप्रसाद के उत्तराधिकारी होने से वादीगण विवादित भूमि पर भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त रखते हैं। यद्यपि अपने इस निष्कर्ष के विपरीत ही वादप्रश्न क्रमांक 01 के समक्ष विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने उसे नासाबित के रूप में लिखा है। जबकि पैरा-18 में यह मान्य किया है कि लाखाराम, शंकर, राणाजीत एवं रामप्रसाद विवादित भूमि के मौरूसी कृषक थे तथा धारा-190 के प्रभाव से उन्हें भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त होना प्रमाणित है। स्पष्ट है कि प्र०पी० 07 के अनुसार रामप्रसाद राजाराम का भाई होकर उसका वारिस है तथा राजाराम का विवाह न होना व्यक्त किया गया है।

10. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में लाखाराम, शंकर, राजाराम एवं राणाजीत के मौरुसी कृषक होने के नाते विवादित भूमि में भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त होना प्रमाणित मानते हुए धारा-192 के तहत वादीगण को भी उनके उत्तराधिकारी होने के नाते विवादित भूमि पर भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त करना मान्य किया है। इस निष्कर्ष को न तो वादीगण ने और न ही प्रतिवादी क्रमांक 01 ने कोई चुनौती दी है। वादी वीरेन्द्र वा0सा0-01 ने, साक्षी राजेन्द्र सिंह वा0सा0-02 एवं पुलन्दर सिंह वा0सा0-03 ने लाखाराम सिंह, शंकर सिंह, राजाराम सिंह, एवं राणाजीत सिंह को मौरुसी कृषक होना और उसके आधार पर संहिता के प्रभावशील होने के पश्चात उन्हें भूमि स्वामी स्वत्व उत्पन्न होना और उनके द्वारा विवादित भूमि पर खेती करना और उनके बाद वादीगण का विवादित भूमि पर खेती करना बताया है। वारिस और उत्तराधिकारी होने के आधार पर वादीगण को विवादित भूमि में स्वत्व उत्पन्न होना बताया है।

11. प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से जो जवाबदेही की गई है, उसमें अर्थात् प्रतिवादपत्र के पैरा-03 में यह स्वीकार किया है कि मौरुसी कृषक के रूप में इंद्राज है। यद्यपि उसे निरस्त करने की कार्यवाही करना बताया है। उनकी ओर से यह आधार लिया गया है कि वादीगण या उनके पूर्वजों के द्वारा मौरुसी कृषक होने के नाते भूमि स्वामी स्वत्व उत्पन्न होने और इस रूप में इंद्राज कराने की कार्यवाही नहीं की गई है अर्थात् भूमि स्वामी घोषित कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परंतु म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा-189 के अनुसार संहिता के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर प्रतिवादी क्रमांक 01 को ही उपखण्ड अधिकारी को आवेदन करना था, जो कि नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में धारा-190 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत मौरुसी कृषक होने के नाते वादीगण के उक्त पूर्वजों को भूमि स्वामी स्वत्व स्वमेव ही प्राप्त हो गए हैं अर्थात् विधि के प्रभाव से स्वमेव लाखाराम, शंकरसिंह, राजाराम एवं राणाजीत स्वमेव ही भूमि स्वामी हो गए थे।

12. गंगासिंह प्र0सा0-01 ने स्वयं को रिकॉर्डेड भूमि स्वामी होना बताया है। परंतु अभिलेख में अन्य व्यक्ति अधिपत्य कृषक अर्थात्

मौरूसी कृषक के रूप में है। मुख्यपरीक्षण में पैरा-02 में ही उसने यह स्वीकार किया है कि राजस्व अभिलेख में गलत इंड्राज, मौरूसी कृषक के इंड्राज को निरस्त कराने की कार्यवाही की है अर्थात् उसने यह माना है कि उपरोक्त लोगों का नाम मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज था। गंगासिंह प्र0सा0-01 ने पैरा-05 में यह स्वीकार किया है कि बाबूसिंह, लाखाराम, शंकर सिंह, मौरूसी कृषक थे।

13. प्र0पी0-06 की राजस्व न्यायालय की आदेश पत्रिका, प्र0पी0-07 आवेदन अंतर्गत धारा-110 एवं 190 म0प्र0भू0रा0सं0 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि बाद में वादीगण की ओर से विवादित भूमि में भूमि स्वामी स्वत्व कानूनन उद्भूत हो जाने से राजस्व अभिलेख में उन्हें भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी घोषित किया जाकर, दर्ज किए जाने की प्रार्थना की गई है। परंतु अभिलेख और साक्ष्य से सपष्ट है कि गंगासिंह प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वर्तमान तक धारा-189 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और वैसे भी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विहित अवधि संहित के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर की है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी गंगासिंह के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया भी नहीं जा सकता क्योंकि आवेदन केवल एक वर्ष के भीतर ही किया जा सकता था।

14. वादी की ओर से प्रस्तुत अधिकार अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-16 तथा खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-17 संवत् 2014 लगायत 2018 अर्थात् सन् 1957 लगायत 1962 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि खाता क्रमांक 162 में सर्वे क्रमांक 138, 167, 168, 171, 184, 256, 354, 593, 606, 898, 900, 902 एवं 903 के संबंध में अधिकार अभिलेख है। मौरूसी कृषक कॉलम नंबर 08 में लाखाराम, शंकर सिंह पुत्रगण सूरजपाल भाग 1/4, राजाराम सिंह पुत्र जगत सिंह भाग 1/4, राणाजीत सिंह पुत्र हीरासिंह भाग 1/4 एवं धनीराम पुत्र लल्लो भाग 1/4 पर मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज है, तब प्रकट है कि यही लोग मौरूसी कृषक के रूप में उक्त भूमियों पर खेती करते आ रहे थे। वर्तमान वाद में सर्वे क्रमांक 171 जिसका पुराना क्रमांक 622/2 दर्शाया गया है, के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है।

15. खसरा संवत् 2014-18 अर्थात् वर्ष 1957-1962 का अध्ययन करने से भी स्पष्ट है कि कॉलम नंबर 05 में सर्वे क्रमांक 622/2 अर्थात् वर्तमान क्रमांक 171 के साथ-साथ अन्य भूमियों पर उपरोक्त वादीगण के पूर्वजों को ही कृषक के रूप में दर्शाया गया है और कॉलम नंबर 09 में पक्के कृषक के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार इन दस्तावेजों से ही यह सिद्ध है कि लाखाराम, शंकर सिंह, राजाराम, राणाजीत एवं धनीराम विवादित भूमियों के, संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व से ही अधिपत्य कृषक अर्थात् मौरुसी कृषक रहे हैं। यहां तक कि खसरा वर्ष 2013-14 में भी लाखाराम सिंह, शंकरसिंह, राजाराम सिंह, राणाजीत सिंह एवं धनीराम के नाम अधिपत्य कृषक के रूप में दर्ज रहे हैं।

16. इस संबंध में प्रतिवादी गंगासिंह ने आवेदन अंतर्गत धारा-115 एवं 116 म0प्र0भू0रा0सं0 प्र0पी0-14 न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगासिंह ने यह मान्य किया है कि इन लोगों के नाम अधिपत्य कृषक के रूप में दर्ज है। न्याय दृ० हरबिलास बनाम जण्डेल सिंह एवं अन्य 1987 राजस्व निर्णय 167 में माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 ने यही अभिनिर्धारित किया है कि म0प्र0भू0रा0सं0 के प्रभावशील होने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर ही भूमि स्वामी द्वारा भूमि पुनर्गृहण के लिए उपखण्डीय पदाधिकारी को आवेदन किया जा सकता है। उक्त मामले में धारा-189 (1) के अधीन कार्यवाही संस्थित किया जाना स्थापित नहीं किया गया था और प्रतिवादपत्र में भी यह तथ्य अभिकथित नहीं किए गए थे और कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं थी। तब ऐसी स्थिति में संहिता धारा-190 के तुरंत लागू होना मान्य किया गया और वादी को मौरुसी काश्तकार की स्थिति के कारण संहिता की धारा-190 के अधीन भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाना मान्य किया गया।

17. ठीक यही स्थिति इस प्रकरण में भी है अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पैरा-17, 18 एवं 19 में दिया गया यह निष्कर्ष वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट नहीं होता

है कि लाखाराम, शंकर, राजाराम एवं राणाजीत के मौरुसी कृषक होने के नाते भूमि स्वामी के स्वत्व उत्पन्न हो गए थे तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा संहिता की धारा-189 के अधीन पुनर्गृहण की कार्यवाही न किए जाने पर विधि के प्रभाव से उन्हें भूमि स्वामी के अधिकार उत्पन्न हो गए हैं तथा वादीगण उनकी संतान एवं उत्तराधिकारी होने से धारा-192 म0प्र0भू0रा0सं0 के अधीन उन्हें विवादित भूमि पर भूमिस्वामी के अधिकार उत्पन्न हो गए हैं। अतः यह प्रमाणित होता है कि वादीगण के पूर्वज अर्थात् लाखाराम, शंकरसिंह, राजाराज एवं राणाजीत सिंह के मौरुसी कृषक होने के नाते म0प्र0भू0रा0सं0 के प्रभावशील होने के पश्चात एक वर्ष के भीतर प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगासिंह के द्वारा पुनर्गृहण का कोई आवेदन प्रस्तुत न करने से भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत हो गए थे और उनके पश्चात वादीगण को विवादित भूमि में भूमिस्वामी स्वत्व उद्भूत हो गए हैं।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 02:-

18. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय के पैरा-20 लागायत 24 में यह मान्य किया है कि वादीगण के पूर्वजों के द्वारा विवादित भूमि को रघुनाथ सिंह को विक्रय कर दिया था। ऐसी स्थिति में म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा-195 एवं 197 के अनुसार भूमि विक्रय करने पर भूमि स्वामी को ऐसा संव्यवहार निरस्त कराने का अधिकार उत्पन्न होता है। यह भी मान्य किया है कि वादीगण के पूर्वज ग्राम बघराई छोड़कर मेघपुरा चले गए थे। इस प्रकार वादीगण ने विवादित भूमि पर आधिपत्य त्याग दिया। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इन विषयों पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने उचित विवेचन नहीं किया है।
19. वीरेन्द्र सिंह वा0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-07 में यह बताया है कि उसके पूर्वज लाखाराम, शंकर सिंह, राणाजीत एवं रामप्रसाद के नाम से मौजा बघराई में 30-35 बीघा जमीन थी। पैरा-11 में उसने यह बताया है कि ग्राम मेघपुरा में उसकी कृषि भूमि है तथा ग्राम बघराई में जो जमीन पूर्वजों के समय की थी, वह उन्होंने विक्रय कर दी है, जो रघुनाथ सिंह ने ले ली है। स्पष्ट है कि

विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने इन जमीनों का आशय विवादित भूमि से लगाया है, जबकि विवादित भूमि मात्र 0.390 हेक्टे0 है और यहां पर वीरेन्द्र वा0सा0-01, 30-35 बीघा जमीन की बात कर रहा है। पैरा-10 में उसने यह बताया है कि चार बीघा के खेत का सर्वे नंबर वह नहीं बता सकता है और पूर्व के सर्वे नंबर भी नहीं बता सकता है।

20. राजेन्द्र सिंह वा0सा0-02 ने भी पैरा-03 में यद्यपि बघराई की जमीन वादीगण के पूर्वजों द्वारा रघुनाथ को विक्रय करना बताया है। परंतु वहीं पैरा-04 में उसने इस तथ्य से इन्कार किया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 171 रकवा 01 बीघा उन्नीस बिस्वा पर वादीगण के पूर्वज जब ग्राम मेघपुरा चले गए थे, तब से लेकर आज तक गंगासिंह खेती कर रहा है। पैरा-05 में उसने यह व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता कि विवादित भूमि के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण एवं उत्तर में कौन से सर्वे नंबर हैं। उपरोक्त साक्षी ग्रामीण परिवेश के निवासी है और खेती का कार्य करते हैं तब ऐसी स्थिति में चतुर्दिशाओं के खेत के नंबरों या अन्य भूमियों के नंबर स्पष्ट रूप से बताया जाना स्वाभाविक नहीं है।

21. उभयपक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। उसमें कहीं भी यह तथ्य नहीं आए हैं कि वादीगण के पूर्वज विवादित भूमि को विक्रय कर गए थे। अपितु अन्य भूमियां जो 30-35 बीघा थी, उसे विक्रय करने का उल्लेख है। यही कारण है कि राजेन्द्र सिंह वा0सा0-02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-03 में यह बताया है कि ग्राम मेघपुरा में भी उनकी खेती-बाड़ी है और ग्राम बघराई में भी उनकी खेती-बाड़ी है, स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण और उनके पूर्वज ग्राम मेघपुरा में भी खेती करते रहे हैं और ग्राम बघराई में भी खेती करते रहे हैं।

22. तब ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह निष्कर्ष दिए जाने में वैधानिक त्रुटि कारित की है कि वादीगण के पूर्वज विवादित भूमि को विक्रय कर ग्राम बघराई छोड़कर मेघपुरा चले गए थे और उस आधार पर वादीगण को भूमिस्वामी स्वत्व उत्पन्न नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में इस मामले में धारा-195 एवं 197 म0प्र0भू0रा0सं0 लागू नहीं होती है। वैसे भी प्रतिवादीगण या किसी भी पक्ष के द्वारा भूमि

विक्रय किए जाने के संबंध में कोई विक्रयपत्र या लिखत आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रमाणित कराई गई है। ऐसी स्थिति में भी भूमि का विक्रय होना प्रमाणित नहीं होता है।

23. जहां तक कि आधिपत्य त्यागने का संबंध है, न तो ऐसा कोई हक त्याग दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है और न ही अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य है कि वादीगण या उनके पूर्वज ग्राम बघराई को सदैव के लिए छोड़कर ग्राम मेघपुरा चले गए थे। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष भी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट होता है कि वादीगण ने विवादित भूमि पर आधिपत्य त्याग दिया है। जबकि वादीगण स्वयं यह कह रहे हैं कि उनका विवादित भूमि पर आधिपत्य है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने प्र0डी0-01 के आधार पर वादीगण का आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं पाया है। परंतु किसी अन्य प्रकरण के निर्णय का निष्कर्ष से इस प्रकरण के निर्णय बाध्यकारी नहीं है।

24. जहां तक कि विवादित भूमि में फसल करने का प्रश्न है, वीरेन्द्र वा0सा0-01 ने पैरा-12 में वर्ष 2013-14 में विवादित भूमि पर बेजर और सोहा की फसल होना बताया है। जबकि प्र0पी0-18 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार उस पर वर्ष 2013-14 में चने की फसल लिखी हुई है। परंतु यहां उल्लेखनीय है कि वीरेन्द्र वा0सा0-01 से वर्ष 2013-14 की फसल के बारे में पूछा है, जबकि किसी भी भूमि पर सालभर में एक से अधिक फसल हो सकती है। जिसका उल्लेख प्र0पी0-18 में नहीं है। प्र0पी0-18 के अनुसार यह नहीं मान्य किया जा सकता कि पूरे वर्ष चने की फसल ही रही हो। स्पष्ट है कि यह प्रश्न केवल प्र0पी0-18 के आधार पर पूछा गया है, तब वह याद्दाश्त संबंधी प्रश्न होना प्रकट होता है कि यदि साक्षी ने प्र0पी0-18 का दस्तावेज पूर्व से ही फसल की दृष्टि से देखा होता तो वह चने की फसल बताता।

25. पुलन्दर सिंह वा0सा0-03 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 में यह बताया है कि गंगासिंह ने दिनांक 21.02.15 को बेजर की फसल काटने की धौंस दी थी। प्रतिवादी की ओर से इस संबंध में कोई दस्तावेज

प्रस्तुत नहीं है कि उक्त दिनांक को बेजर की फसल नहीं थी। प्र०पी०-11 के आवेदन अंतर्गत धारा-250 म०प्र०भू०रा०सं० का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन उक्त प्रावधान के तहत प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगासिंह के द्वारा न्यायालय तहसीलदार गोहद को प्रस्तुत किया है, जिसमें दिनांक 27.12.14 की तिथि अंकित है। आदेश पत्रिका प्र०पी०-09 के अनुसार उक्त आवेदन दिनांक 30.12.14 को प्रस्तुत किया गया है।

26. धारा-250 म०प्र०भू०रा०सं० अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी का पुनः स्थापित करने के संबंध में है, जिसकी उपधारा-(1-क) के अनुसार यदि किसी भूमिस्वामी को भूमि से विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेकब्जा न करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया हो या यदि कोई व्यक्ति भूमिस्वामी की किसी ऐसी भूमि पर, जिसके उपयोग के लिए ऐसा व्यक्ति इस कोड के किसी उपबंध के अधीन हकदार न रह गया हो, अप्राधिकृत रूप से कब्जा किए रहे तो भूमि स्वामी या उसके हित उत्तराधिकारी बेकब्जा किए जाने की तारीख से या उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाए, दो वर्ष के भीतर तहसीलदार को यह आवेदन कर सकेगा कि उसे कब्जा वापिस दिलाया जाए।

27. उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगासिंह की ओर से धारा-250 म०प्र०भू०रा०सं० का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि दिनांक 30.12.14 को प्रस्तुत किया गया, जो कि पुलन्दर सिंह, दशरथ सिंह, जयवीर सिंह, पुत्तू सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण रामप्रसाद सिंह अर्थात् पुलन्दर सिंह एवं दशरथ सिंह के साथ-साथ वादी क्रमांक 06, 07 एवं 08 के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है और प्रतिवादी क्रमांक 01 का कब्जा वर्तमान में भी नहीं है।

28. गंगासिंह प्र०सा०-01 ने स्वयं को रिकॉर्डेड भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना बताया है। परंतु राजस्व अभिलेख के आधार पर भी गंगासिंह का आधिपत्य विवादित भूमि पर होना प्रकट नहीं होता है।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रतिवादी गंगासिंह प्र०सा०-०१ एवं उसके साक्षी कल्याण सिंह प्र०सा०-०२ तथा रामनरेश सिंह, प्र०सा०-०३ ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में ऐसा कहीं नहीं बताया है कि वादीगण के पूर्वजों से प्रतिवादी क्रमांक ०१ के द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया था या गंगासिंह को कब्जा दिलाया गया है क्योंकि लगातार वादीगण के उपरोक्त पूर्वज अधिपत्य कृषक अर्थात् मौरुसी कृषक के रूप में पक्के कृषक के रूप में हैं और उनका नाम राजस्व अभिलेख में लगातार दर्ज रहा है।

29. वैसे भी विवादित भूमि में अधिपत्य कृषक के रूप में 1/4-1/4 भाग पर उपरोक्त पूर्वजों का कब्जा होकर मौरुसी कृषक होकर खेती करने के तथ्य प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर वादीगण भी इसी प्रकार सहस्वामी व सहअधिपत्यधारी हो जाते हैं। सहअधिपत्यधारी होने से यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वादी या उसके पूर्वज का भौतिक अधिपत्य विवादित भूमि पर हो। इस दृष्टि से भी विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक ०१ गंगासिंह का अधिपत्य न होकर वादीगण का ही कब्जा होना प्रकट और प्रमाणित होता है।

30. अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय के पैरा-26 में दिया गया यह निष्कर्ष वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट होता है कि विवादित भूमि पर वादीगण का स्थापित अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं होता है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्र०डी०-०१ के अनुसार अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं माना है। जब कि प्र०डी०-०१ के निर्णय का उक्त निष्कर्ष इस प्रकारण पर बाध्यकारी नहीं है, जिसके संबंध में प्रथम से सिविल अपील क्रमांक 23/15 में निराकरण किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रमाणित है कि म०प्र०भू०रा०सं० के प्रभावशील होने के पूर्व से वादीगण के पूर्वजों का तथा उनके पश्चात् वादीगण का सुस्थापित अधिपत्य चला आ रहा है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 03:-

31. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-28 में यह मान्य किया है कि वादीगण का स्वत्व एवं अधिपत्य विवादित

भूमि पर होना प्रमाणित नहीं हुआ है, इस आधार पर वादीगण के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा हस्तक्षेप किया जाना भी प्रमाणित नहीं माना है परंतु उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का आधिपत्य विवादित भूमि पर होना प्रमाणित है। इस संबंध में वादी वीरेन्द्र वा0सा0-01 ने यह बताया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की आड़ में प्रतिवादी क्रमांक 01 वादीगण की सोहा एवं बेजर की फसल काटने की बातचीत गांव में दिनांक 21.02.15 को कर रहा था और कह रहा था कि उसने न्यायालय से स्टे प्राप्त कर लिया है और वह फसल काटेगा।

32. राजेन्द्र सिंह वा0सा0-02 एवं पुलन्दर सिंह वा0सा0-03 ने भी यह बताया है कि प्रतिवादी गंगासिंह ने दिनांक 21.02.15 को जबरन फसल काटने की धौंस दी है। पुलन्दर सिंह से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर भी उसने दिनांक 21.02.15 को उसे, वीरेन्द्र सिंह एवं बाबूसिंह को बेजर की फसल काटने की धौंस देना बताया है। वीरेन्द्र सिंह वा0सा0-01 को प्रतिपरीक्षण में पैरा-13 में सुझाव दिए जाने पर उसने इस तथ्य से इन्कार किया है कि वादी ने प्रतिवादी को कभी भी विवादित भूमि के संबंध में हैरान परेशान नहीं किया और कोई हस्तक्षेप नहीं किया। प्रतिवादी गंगासिंह प्र0सा0-01 ने तथा उसके साक्षी कल्याण सिंह प्र0सा0-02 व रामनरेश सिंह प्र0सा0-03 ने अपने संपूर्ण मुख्यपरीक्षण में यह नहीं बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगासिंह ने दिनांक 21.02.15 को फसल काटने की धौंस नहीं दी।

33. इस प्रकार इस बिन्दु पर प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा वादी साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया है। इस बिन्दु पर वादीगण की साक्ष्य अखण्डनीय है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 वादीगण के विवादित भूमि में आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। इस बिन्दु पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न तो साक्ष्य का विवेचन किया गया है और न ही इस बिन्दु पर विस्तृत रूप से विचार किया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट होता है कि विवादित भूमि पर वादीगण का

आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं हुआ है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04:—

34. यह विचारणीय प्रश्न विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा अन्यत्र अंतरित करने के संबंध में है जिसके संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष विधि सम्मत होना प्रकट है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा विवादित भूमि के अंतरण का प्रयास किया जाना प्रमाणित नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 05:—

35. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि वादीगण के पूर्वज अर्थात् लाखाराम, शंकरसिंह, राजाराम एवं राणाजीत सिंह के मौरुसी कृषक होने के नाते म0प्र0भू0रा0सं0 के प्रभावशील होने के पश्चात एक वर्ष के भीतर प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगासिंह के द्वारा पुनर्गृहण का कोई आवेदन प्रस्तुत न करने से भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत हो गए थे और उनके पश्चात वादीगण को विवादित भूमि में भूमिस्वामी स्वत्व उद्भूत हो गए है। यह भी प्रमाणित हुआ है कि विवादित भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा वादीगण के विवादित भूमि में आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है।
36. अतः ऐसी स्थिति में प्रकट है कि विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विधिवत् अवलोकन कर साक्ष्य का उचित मूल्यांकन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है। इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 के संबंध में जो निष्कर्ष दिए हैं, वह त्रुटिपूर्ण है।
37. इस कारण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.03.17 के द्वारा अपीलार्थी/वादीगण की ओर से विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 171 रकबा 0.390 हेक्टे0 स्थित मौजा बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड के संबंध में प्रस्तुत किए गए घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को निरस्त किए जाने की जो डिक्री दी गई है, वह हस्तक्षेप किए जाने योग्य है, स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
38. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा-26

में यह उल्लेखित किया है कि म०प्र०भू०रा०सं० की धारा-190 के अधीन वादीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी के द्वारा क्षतिपूर्ति भी भूस्वामी को नहीं दी गई है। धारा-190 की उपधारा-03 के अनुसार जहां मौरुसी कृषक को भूमि स्वामी के अधिकार प्रोद्भूत हो जाते हैं, वहां ऐसा मौरुसी कृषक अपने भूमि स्वामी को ऐसे प्रतिकर का, जो उस भूमि के संबंध में देय भू राजस्व के 15 गुने के बराबर हो, पांच समान वार्षिक किश्तों में भुगतान करने का दायी होगा। उपधारा-04 में एक मुश्त भुगतान करने पर 10 प्रतिशत दर से रिबेट पाने का हकदार होगा। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित भूमि के 3/4 हिस्से के अनुसार उसके देय भू राजस्व के 15 गुने की 90 प्रतिशत राशि एकमुश्त तहसीलदार गोहद के यहां प्रारूप 'क' पर जमा करेंगे जो प्रारूप ख की सूचना प्रतिवादी क्रमांक 01 को दी जाने पर उक्त राशि को प्राप्त कर सकेगा। मौरुसी कृषक धनीराम पुत्र लल्लो या उसके वारिसान की ओर से शेष 1/4 की विवादित भूमि के संबंध में कोई वाद या क्लेम करना प्रकट नहीं है।

39. तदनुसार अपीलार्थीगण/वादीगण के द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.03.17 अपास्त की जाती है तथा निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जाती है एवं आदेशित किया जाता है कि:-

1. वादीगण के पूर्वज लाखाराम, शंकर सिंह, राणाजीत सिंह एवं राजाराम के मौरुसी कृषक होने के नाते विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 171 रकबा 0.390 हेक्टे० स्थित मौजा बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड में भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत हो चुके थे जिसके आधार पर वादीगण वारिसान होने के नाते उनके भी विवादित भूमि में भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत हो चुके हैं।
2. प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगासिंह के विरुद्ध एवं वादीगण के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 विवादित भूमि के 3/4 भाग पर वादीगण के आधिपत्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे और कोई हस्तक्षेप न करे।

3. यह डिक्री तभी प्रभावशील होगी जब वादीगण डिक्री दिनांक से एक माह के भीतर विवादित भूमि के 3/4 हिस्से के अनुसार उसके देय भू राजस्व के 15 गुने की 90 प्रतिशत राशि एकमुश्त तहसीलदार गोहद के यहां जमा करेंगे।

4. इस अपील में तथा मूल व्यवहार वाद में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 1,000/—रुपए लगाया जाता है।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

40. इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड